

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक(का0)
समस्तीपुर

कार्यालय आदेश सं०:- 69 /NG/2020/Engg./SPJ


मंडल रेल प्रबंधक (का0)/समस्तीपुर के ज्ञापन सं०:-का/239/तृतीय श्रेणी अनु0/गो0/19, दिनांक 10.12.2019 के द्वारा निम्नलिखित अभ्यर्थी जो अनुकम्पा के आधार पर अभियंत्रण विभाग में ट्रेकमेन्टेनर -IV,वेतन लेवल-1 के पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य पाए गए है तथा जो वांछित चिकित्सा श्रेणी में सुयोग्य घोषित हैं, की नियुक्ति अस्थाई रूप से इनके नाम के सामने अंकित पद वेतन लेवल एवं कार्यस्थल पर की जाती है। इन्हें समय समय पर स्वीकार्य भत्ता नियमानुसार देय है तथा वेतन का लाभ इनके वास्तविक कार्यभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम, सर्वश्री	चिकित्सा श्रेणी/प्रमाण पत्र सं०/ दिनांक	जन्म तिथि	समुदाय	पद एवं पे लेवल	योग्यता	पदस्थापना/स्टेशन	पदस्थापना पर वेतन निर्धारण
01	मो.फिरदौस पिता-स्व० मो.करमूल	Unfit in Aye one (A-1) category, Fit in Aye two (A-2) without glasses vide Sr. DMO/SPJ's medical certificate No-1213/13 Dt.07/09.12.2019	10.12.1992(दस दिसम्बर उन्नीस सौ बेरानवे)	ओबीसी	ट्रेकमेन्टेनर -IV,वेतन लेवल-1	मैट्रिक	SSE/P.Way/SHC Under ADEN/ SHC	₹18000/- (लेवल-01)

उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक एवं अस्थायी है। इनकी नियुक्ति के संबंध में वे सभी शर्तें लागू होगी जो एक अस्थाई कर्मचारी के साथ लागू होती है। चरित्र सत्यापन के दौरान पुलिस द्वारा प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने या शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र के सत्यापन के दौरान त्रुटि पाये जाने पर या माता/पिता/पति पत्नी/बच्चों जैसा भी मामला हो के साथ तथा परिवार के अन्य सदस्यों की देख रेख नहीं किये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

आवश्यकतानुसार इन्हें प्रादेशिक सैन्य सेवा, रेलवे इंजिनियरिंग इकाई में 12 वर्षों तक प्रादेशिक सेवा में तीन वर्षों तक या आवश्यकतानुसार जो अवधि निर्धारित की जाएगी, सैन्य सेवा करनी होगी। इनकी सेवा रेलवे बोर्ड के नियमानुसार दिनांक 01.01.2004 से प्रभावी नई पेंशन योजना से शासित होंगे।

उपरोक्त सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित है।



मंडल कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर

(आर.आर.लकडा)
मंडल कार्मिक अधिकारी
समस्तीपुर

सं०:- का/227/नियुक्ति/टी0एम0/अभि/सम,

दिनांक- 24.01.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वमई/(समन्वय) सम0
2. वमविप्र/सम0
3. समई/सहरसा
4. सिसेई (रेल पथ)/ सहरसा
5. मंडलमंत्री/ईसीआरकेयू/सम0, अजा0-अजजा0, एवं ओबीसी एस0/सम0
6. संबंधित कर्मचारी
7. अभिलेख हेतु।

कृते मंडल कार्मिक अधिकारी
समस्तीपुर